



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-09062020-219801

CG-DL-W-09062020-219801

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22] नई दिल्ली, शनिवार, मई 30—जून 5, 2020 (ज्येष्ठ 9, 1942)

No. 22] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 30—JUNE 5, 2020 (JYAISHTHA 9, 1942)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके—
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)=

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

संशोधन अधिसूचना संख्या 2

नई दिल्ली, दिनांक 1 जून, 2020

सं. 1-2/2015-विस्तार (से. नि.) मि. सं. 1-2/2015-विस्तार—राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज), सेवा उप नियमों, 1993, के नियम (6) के उप-नियमन 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज), महानिदेशक भर्ती नियम, 2020, अधिक्रान्त करते हुए केंद्रीय सरकार मैनेज में महानिदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम 'राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज), महानिदेशक भर्ती नियम, 2020' है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, महानिदेशक भर्ती नियम, 2020 के—

(क) अनुसूची में,

(i) कॉलम (11) के टिप्पणी 2 के अंतर्गत, शब्दों, अंकों और अक्षरों के लिए "प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करते समय अधिकतम आयु सीमा आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि तक 54 वर्ष से अधिक नहीं होगी" के शब्दों, अंकों और अक्षरों के लिए "प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करते समय अधिकतम आयु सीमा आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि तक 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

डी. पोन्नी,
अवर सचिव (विस्तार)

नोट—उपर्युक्त से संबंधित प्रमुख नियम दिनांक 25 जुलाई, 2017 के अधिसूचना सं. 33 के तहत भारत के राजपत्र के भाग—III, खंड 4 में दिनांक 19 अगस्त, 2017 को प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE, COOPERATION AND FARMERS WELFARE)

Amendment Notification No. 2

New Delhi, the 1st June 2020

No. 1-2/2015-Extn.(RRs)/(No. 1-2/2015-Extn.)—In exercise of the powers conferred by sub-regulation (1) of regulation 6 of the National Institute of Agriculture Extension Management (MANAGE), Service Bye Laws, 1993, and the Central Government hereby makes the following rules to amend the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, National Institute of Agriculture Extension Management (MANAGE), Director General Recruitment Rules, 2020, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the 'National Institute of Agriculture Extension Management (MANAGE), Director General Recruitment Rules, 2020'.

(2) They shall come into force on the date of their notification in the official gazette.

2. In the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, National Institute of Agriculture Extension Management (MANAGE), Director General Recruitment Rules, 2020:—

(a) In the schedule,—

(i) under column (11), in the Note 2, for the words, figures and letters "The Maximum age limit for appointment by deputatin shall be not exceeding 54 years as on the closing date of the receipt of applications", the words, figures and letters "The Maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 58 years as on the closing date of the receipt of applications" shall be substituted.

D. PONNI,
Under Secretary

Note:— The principal rules were published *vide* notification No. 33, dated the 25th July, 2017 in the Gazette of India, Part III, Section 4, dated 19 August, 2017.